बजट 2005-2006

वित्त मंत्री

पी. चिदंबरम

का

भाषण

28 फरवरी, 2005

भाग-क

अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2005-06 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

2. पिछले वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा था कि 2004 के चुनावों का मतदान परिवर्तन के लिए मतदान था। मेरा विश्वास है कि यह मतदान एक नए नेतृत्व, एक नई सरकार, नई नीतियों, आम आदमी, जो सारी राजनीति और प्रशासन का केन्द्र बिन्दु है, पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित करने के पक्ष में था।

3. मैं अपने विश्वास की पुनः पुष्टि करता हूं और मैं इसकी घोषणा भी करता हूं कि प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के अधीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया है जो देश के लोगों को अधिक स्वीकार्य है और जो सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक कल्याण करेगा।

4. मैं आज की कार्रवाई शुरु करने से पहले सुनामी त्रासदी के कारण उत्पन्न जानमाल और आजीविका के नुकसान पर सरकार की हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अभी तक सरकार ने 3,644 करोड़ रुपए की धनराशि के राहत पैकेज का अनुमोदन किया है। योजना आयोग ने जो सुनामी पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यक्रम का समन्वय कर रहा है, 10,216 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक कार्यक्रम तैयार किया है। मैं माननीय सदन और प्रभावित लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक प्रभावित परिवार का पूरी तरह पुनर्वास हो जाए।

I. वृहद आर्थिक पृष्ठभूमि

विगत समयः जहां हम 2003-04 में थे

5. मई 2004 में यू.पी.ए. सरकार को जैसाकि अब हम जानते हैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जिसकी वृद्धि दर इससे पिछले वर्ष की 4 प्रतिशत की कमजोर पृष्ठभूमि में

2003-04 में 8.5 प्रतिशत पर आ गई थी। जहां यह वृद्धि वास्तव में व्यापक आधार पर थी, वहां यह प्रभावशाली वृद्धि दर मुख्यतः कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन की बहाली के कारण थी। मैंने तब यह टिप्पणी की थी कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री काफी भाग्यशाली थे जबकि उनसे पहले के मंत्री ऐसे भाग्यशाली नहीं थे! उच्च वृद्धि दर के बावजूद अनेक बाधाकारक प्रवृत्तियां थीं जो मई 2004 में ध्यान में आईं। सबसे पहली 2003-04 के अंत में नकदी प्रलंबन की थी जो 2004-05 तक चलती रही। दूसरी भूमंडलीय पेट्रोलियम कीमतों में तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति दबावों की थी। तीसरी दक्षिण-पश्चिमी मानसून की अप्रत्याशित 13 प्रतिशत की कमी थी। चौथी प्रवृत्ति व्यापार भरोसेमंदी में स्पष्ट गिरावट की थी जिसके कारण नए निवेशों में तेजी से गिरावट आई और जो वर्तमान लेखा-अधिशेषों के रूप में भी प्रदर्शित हुए। किसी भी स्तर से यह महान चुनौतियां थीं, परन्तु यू.पी.ए. सरकार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी।

वर्तमानः जहां हम 2004-05 में हैं

6. निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार उत्पन्न करने, राजकोषीय सुदृढ़ता में तेजी लाने, उच्चतर राजकोषीय हस्तान्तरण सुनिश्चित करने और कृषि, विनिर्माण तथा आधार सुविधा संरचना पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) ने सरकार को प्रतिवर्ष 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने को अधिदेशित किया। एन.सी.एम.पी. ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखरेख को सर्व सुलभ कराने और प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को एक सौ दिवसों का रोजगार सुनिश्चित कराने का भी अधिदेश दिया। मेरा विश्वास है कि 9 महीनों की अवधि में हमने चुनौतियों का सामना किया है और कई सफलताएं हासिल की हैं।

- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार चालू वर्ष में वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है और विनिर्माण क्षेत्रक की 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर की आशा है।

- 28 अगस्त, 2004 को मुद्रास्फीति 8.7 प्रतिशत पर आ गई थी जिसे नियंत्रित कर लिया गया है। 12 फरवरी, 2005 को मुद्रास्फीति दर 5.01 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के इसी सप्ताह की तुलना में एक प्रतिशत प्वाइंट से भी अधिक रूप में कम हो गई है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति कम थी जो दिसम्बर, 2004 में 3.8 प्रतिशत पर थी।

- व्यापार-भरोसेमंदी की बहाली हो गई है और 2004-05 में निवेशों में तेजी आई है। गैर-खाद्य ऋण 21.2 प्रतिशत बढ़े हैं।

वर्ष की समाप्ति तक हम विश्वास के साथ यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी इंजन लगभग पूरी गति के साथ चल रहे हैं।

7. हमने आम नागरिकों को दिए अपने अनेक वचन भी पूरे कर लिए हैं। पिछले वर्ष मैंने वचन दिया था कि कृषि ऋण 30 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 105,000 करोड़ रुपए के घोषित लक्ष्य की तुलना में हम 108,500 करोड़ रुपए का वितरण पूरा करने जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अभी तक अपने उधारकर्ता पोर्टफोलियो में 58.20 लाख नए किसान शामिल कर लिए हैं। मैंने वचन दिया था कि छात्रों को शिक्षा ऋण उदारतापूर्वक दिए जाएंगे। वर्ष 2003-04 में 1,983 करोड़ रुपए की धनराशि के 1,08,000 ऋणों की तुलना में 31 दिसम्बर, 2004 तक 2,249 करोड़ रुपए की धनराशि के 1,40,000 ऋण दिए जा चुके हैं। मैंने वचन दिया था कि अंत्योदय अन्न योजना के

अंतर्गत शामिल परिवारों की संख्या 1.5 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 2 करोड़ परिवार की जाएगी और यह वचन पूरा कर लिया गया है। मैंने यह वचन दिया था कि काम के बदले अनाज पुनर्निर्मित कार्यक्रम 150 जिलों में चलाया जाएगा। इसे 14 नवम्बर, 2004 को शुरू कर दिया गया है। मैंने वचन दिया था कि एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पेश किया जाएगा। यह भी कर लिया गया है। मैंने वचन दिया था कि हम स्व-सहायता समूहों की अवधारणा को जोर-शोर से बढ़ावा देंगे। चालू वर्ष में 1.85 लाख स्व-सहायता समूहों के लक्ष्य की तुलना में हमने पहले ही 2.26 लाख ऋण संबद्ध स्व-सहायता समूहों को शामिल कर लिया है और 1,197 करोड़ रुपए के ऋण बांटे जा चुके हैं। माननीय सदस्यगण इस बात को नोट करेंगे कि इन प्रत्येक क्षेत्रों में सरकार का मुख्य ध्यान आम नागरिक पर रहा है, चाहे वह किसान हो, विद्यार्थी हो, स्व-नियोजित महिला हो अथवा काम और भोजन तलाशने वाला श्रमिक हो।

आगामी वर्षः 2005-06 में हम जहां होंगे

8. वृद्धि, स्थायित्व और समानता पारस्परिक मजबूती प्रदान करने वाले उद्देश्य हैं। एन.सी.एम.पी. का झुकाव गरीबों के पक्ष में सरकार द्वारा निर्णायक हस्तक्षेप की दिशा में है। भारतीय अर्थव्यवस्था की समुत्थान शक्ति को देखते हुए संसाधनों को जुटाना और गरीबी एवं बेरोजगारी पर सीधा प्रहार करना संभव है। *आम आदमी* को तुरंत राहत प्रदान करने का यही एक उपाय है।

बड़ी तस्वीर

9. मैं पहले एक बड़ी तस्वीर पेश करना चाहता हूं। वर्ष 2004-05 में आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) 145,590 करोड़ रुपए थी जिसमें हमने बाद में 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए थे। जैसा कि मैं बाद में उल्लेख करूंगा, बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की सिफारिशों के परिणामस्वरूप निधिपोषण की प्रणाली में परिवर्तन आ गया है। समान आधार पर 2005-06 में आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता 172,500 करोड़ रुपए बनती है। यह 16.9 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। बजट अनुमान 2004-05 में केन्द्रीय आयोजना के लिए सहायता 87,886 करोड़ रुपए थी और बजट अनुमान 2005-06 में इसे बढ़ाकर 110,385 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो 25.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि को प्रदर्शित करती है। मैं एन.सी.एम.पी. के अंतर्गत आने वाले प्राथमिकता क्षेत्रकों और अग्रणी कार्यक्रमों के लिए अगले वर्ष 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

10. उदाहरण के लिए, 2005-06 में शिक्षा के लिए आबंटन 18,337 करोड़ रुपए होगा। शिक्षा के बाद ग्रामीण विकास के लिए आयोजना आबंटन 18,334 करोड़ रुपए होगा। उर्वरकों के लिए सब्सिडी पर व्यय 16,254 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर होने वाला अनुमानित व्यय 10,280 करोड़ रुपए है।

II. गरीबी और बेरोजगारी पर प्रहार

लोगों की अधिकारिता

11. भारत एक गरीब देश नहीं है, फिर भी हमारे लोगों का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। गरीबी केवल आमदनी के मामले में नहीं है। गरीबी के अन्य संकेतक हैं निरक्षरता, बीमारी, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, कौशल का अभाव एवं बेरोजगारी। जनतंत्रीय सरकार का संपूर्ण प्रयोजन है गरीबी का उन्मूलन और प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होने, कार्यकौशल सीखने और लाभदायक रोजगार पाने के अवसर प्रदान करना। सरकार इस बात को मानती है कि गरीब को अधिकारिता प्रदान करना और गरीबी के अभिशाप का नामोनिशान मिटाना उसका पावन कर्त्तव्य है।

रोजगार

12. पिछले बजट में मैंने कार्य रहित वृद्धि के विचार को अस्वीकार किया था। जब मैं यू.पी.ए. सरकार के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता हूं तो माननीय सदस्यगण इस बात को पाएंगे कि विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के पीछे मूल उद्देश्य रोजगार सृजन का है। अतिरिक्त 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में आश्वासित सिंचाई सुविधाओं से पांच वर्षों की अवधि में प्रति हेक्टेयर 1 व्यक्ति की दर से 1 करोड़ अतिरिक्त लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिस दर पर वृद्धि कर रहा है उससे प्रतिवर्ष 2.5 लाख रोजगार उत्पन्न होते हैं। अकेले वस्त्र उद्योग क्षेत्रक की क्षमता अगले 5 वर्षों में 1.2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करने की है। सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग (आई.टी.) द्वारा 2009 तक अतिरिक्त 70 लाख रोजगार प्रदान करने की आशा की जाती है। निर्माण उद्योग से भी लाखों रोजगारों की आशा की जाती है। जिन क्षेत्रकों में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमताएं हैं, उनकी ओर सरकार सर्वाधिक ध्यान देगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

13. नवम्बर, 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरु करने के बाद प्रत्येक नकद घटक और खाद्यान्न घटक के लिए प्रावधान किया गया। समग्र रूप से चालू वर्ष में 4,020 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2005-06 के लिए नकदी घटक हेतु 5,400 करोड़ रुपए और खाद्यान्न घटक के लिए 50 लाख मी.टन खाद्यान्न का प्रावधान किया गया है और संपूर्ण रूप से आबंटन बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। सरकार का इरादा इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में परिवर्तित करने का है। पूर्ण रूप से लागू हो जाने पर यह स्कीम करोड़ों गरीब परिवारों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करेगी और मैं इस कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था का वचन देता हूं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

14. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) को अगले वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। इसका केन्द्र बिन्दु होगा सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित आधार-स्तरीय जन स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य को सशक्त करना। स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग के लिए कुल आबंटन चालू वर्ष में 8,420 करोड़ रुपए से बढ़कर अगले वर्ष 10,280 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से एन.आर.एच.एम. और स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, अधिक औषधियां प्रदान करने और प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रणाली के सुदृढ़ीकरण जैसे इसके घटकों का वित्तपोषण किया जाएगा।

15. मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी 6 संस्थाओं को कमी वाले राज्यों में चिकित्सा शिक्षा बढ़ाने के लिए अगले वर्ष शुरू कर दिया जाएगा।

अंत्योदय अन्न योजना

16. अंत्योदय अन्न योजना अब गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के 2 करोड़ परिवारों को कवर करती है। वर्ष 2005-06 में यह संख्या बढ़कर 2.5 करोड़ परिवार हो जाएगी।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)

17. एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) को सार्वभौमिक बनाने का कार्य अधिक समय से लंबित है। मेरा इरादा यह सुनिश्चित करने का है कि प्रत्येक बस्ती में एक कार्यशील आंगनबाड़ी हो जो सभी बच्चों को पूर्ण कवरेज प्रदान करे। आज की तारीख में 6,49,000

आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। मैं आई.सी.डी.एस. स्कीम के विस्तार और 1,88,168 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखता हूं जो विद्यमान आबादी मानदंडों के अनुसार आवश्यक हैं। ऐसी सूचना है कि 0-3 वर्ष के आयु वर्ग में सैंतालीस प्रतिशत बच्चे "अन्डरवेट" हैं। अनुपूरक पोषण आई.सी.डी.एस. स्कीम का यह अभिन्न हिस्सा है। मैं अनुपूरक पोषण मानदंड दुगुने करने और इस प्रयोजन के लिए राज्य की आधी लागत की साझेदारी करने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं आई.सी.डी.एस. के लिए बजट अनुमान 2004-05 में 1,623 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर बजट अनुमान 2005-06 में 3,142 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

मध्याह्न भोजन स्कीम

18. बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन स्कीम की संपूर्ण देश में काफी अच्छी शुरूआत हुई है। आज इसके अंतर्गत 11 करोड़ बच्चे शामिल हैं। केन्द्र सरकार अब प्रति बच्चा 1 रुपए की दर से खाद्यान्न और उनको पकाने की लागत प्रदान कर रही है। बजट अनुमान 2004-05 के अनुसार यह आबंटन 1,675 करोड़ रुपए था। मैं अगले वर्ष यह आबंटन बढ़ाकर 3,010 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं।

सर्व शिक्षा अभियान

19. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप की नींव है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2004-05 के बजट अनुमानों में 3,057 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। इस वर्ष के दौरान मैंने यह आबंटन बढ़ाकर 4,754 करोड़ रुपए कर दिया है। एक व्यपगत न होने वाली "प्रारंभिक शिक्षा कोष" नामक निधि इस कार्यक्रम के निधिपोषण हेतु सृजित की गई है। मैं 2005-06 में यह आबंटन बढ़ाकर 7,156 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं।

पेयजल और सफाई

20. सभी पेयजल स्कीमों को अब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत लाया गया है। अभी तक, चालू वर्ष में, 31,355 शामिल न की गई ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान अधिक बसावटों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में लगभग 2.16 लाख बसावटों में जल की गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया जाएगा। मैं मिशन का परिव्यय चालू वर्ष में 3,300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 4,750 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

21. परन्तु सफाई का पक्ष गंभीर रूप से कमजोर है। केवल लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण घरों को सुरक्षित सफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। संपूर्ण सफाई अभियान (टी.एस.सी.) अब 452 जिलों में संचालित हो रहा है। सरकार का इरादा सभी जिलों में टी.एस.सी. के विस्तार का है और मैं अगले वर्ष के लिए 630 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

22. मैं सम्पूर्ण आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विकास प्रक्रिया में लाया जाए। पहली बार आप बजट दस्तावेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास संबंधी योजनाओं पर एक पृथक् विवरण पाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए आबंटन 6,253 करोड़ रुपए है।

23. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण की कुंजी योग्य छात्रों को उच्च श्रेणी के शिक्षा के अवसर प्रदान करने में निहित है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय आयोजना के तहत चल रही तीन छात्रवृत्ति योजनाएं- मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और योग्यता आधारित जारी रहेंगी। एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में, मैं एक नई योजना का प्रस्ताव करता हूं: उत्कृष्ट संस्थानों की एक संक्षिप्त सूची अधिसूचित की जाएगी और कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र उन संस्थानों में से किसी एक में दाखिला पाता है तो उसे एक बड़ी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जो शिक्षण शुल्क, रहन-सहन खर्चों, पुस्तकों और एक कम्प्यूटर की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। योजना के ब्यौरे संबंधित मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाएंगे।

24. सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों में एम.फिल. और पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी-राष्ट्रीय फैलोशिप भी आरंभ करेगी। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फेलोशिपों की पद्धति पर 2005-06 से प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली 2000 फैलोशिपों के लिए निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

महिलाएं एवं बच्चे

25. गत जुलाई में मैंने लिंग आधारित बजटीय व्यवस्था पर विचार करने का वचन दिया था। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैंने बजट दस्तावेजों में एक पृथक विवरण शामिल किया है जिसमें 10 अनुदानों की मांगों के अंतर्गत बजटीय आवंटनों की लिंग संवेदिताओं को उजागर किया गया है। विवरण के अनुसार, बजट अनुमान 2005-06 में कुल राशि 14,379 करोड़ रुपए है। यद्यपि यह भारत में बजट-निर्माण में एक अन्य प्रथम घटना है, तो भी यह एक शुरूआत भर है और आने वाले समय में सभी विभागों को लिंग आधारित बजट प्रस्तुत करना तथा लाभ-प्रभाव क्षेत्र विश्लेषण करना अपेक्षित होगा।

अल्पसंख्यक

26. अल्पसंख्यकों को और अधिक विकास प्रक्रिया में लाना होगा। मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए, यथावांछित इक्विटी सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

27. सर्व शिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले नए विद्यालयों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यकों की प्रचुर आबादी वाले जिलों या विकास खंडों में अवस्थित किया जाएगा। इसी तरह, नए आंगनवाड़ी केन्द्रों का एक निश्चित अनुपात उन विकास खंडों या गांवों में अवस्थित किया जाएगा जिनमें अल्पसंख्यक आबादी बहुतायत में है।

28. उर्दू उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में लोगों की मातृभाषा है, लेकिन उर्दू के शिक्षण के लिए बहुत कम व्यवस्था है। मैं ऐसे प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों, जो ऐसी आबादी में बसे हैं जिसका कम से कम एक चौथाई उस भाषा समूह से संबद्ध हो, में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

29. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध उम्मीदवारों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करते हैं। ये योजनाएं सरकारी संस्थाओं तक सीमित हैं और परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। अतः मैं इन योजनाओं का विस्तार करके प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं को, जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम दर्शाने का पिछला रिकार्ड हो, शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं

इन चुनिंदा निजी संस्थानों में दाखिला लेने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के योग्य उम्मीदवारों की ओर से शुल्क का भुगतान करने हेतु निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि

30. पिछले बजट में पिछड़े जिलों के लिए एक अनुदान निधि की घोषणा होने के बाद इस प्रस्ताव पर काफी विचार-मंथन हुआ है। एक अंतःमंत्रालयी समूह (आई.एम.जी.) ने सामाजिक-आर्थिक रूप से प्रभावित करने वाले मानदंडों के आधार पर 170 पिछड़े जिलों की पहचान की है। आई.एम.जी. ने यह भी प्रस्ताव किया है कि नई सुविधा के अंतर्गत संसाधन, पंचायती राज संस्थाओं को समुचित अधिकार प्रदान किए जाने, जिसमें पदाधिकारियों और निधियों का अंतरण शामिल है, की शर्त पर होंगे। मैं आई.एम.जी. की सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं और मुझे एक पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि की स्थापना की घोषणा करते हुए प्रसन्नता है। वर्ष 2005-06 के लिए आयोजना में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और अगले चार वर्षों में प्रतिवर्ष इतनी ही राशि आवंटित की जाएगी। इस निधि की स्थापना के परिणामस्वरूप, 2006-07 में समाप्त होने वाली राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) का उपयुक्त संक्रमण प्रबंधों, जो अब आर.एस.वी.आई. के अंतर्गत शामिल प्रत्येक जिले को संरक्षित करेंगे, के साथ परिसमापन किया जाएगा।

बिहार

31. राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बिहार, जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेजों का उल्लेख है। अब तक बिहार ने आर.एस.वी.वाई. के माध्यम से विशेष सहायता प्राप्त की है। आर.एस.वी.वाई. के अधीन संक्रमण प्रबंध 2006-07 तक जारी रहेंगे। इस बीच बिहार के पिछड़े जिले पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि से सहायता प्राप्त करना आरंभ करेंगे। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि बिहार की आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करते हुए बारहवें वित्त आयोग ने 2005-10 की अवधि के लिए 7,975 करोड़ रुपए की राशि के प्रचुर अनुदान दिए हैं। बिहार को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान की आवश्यकता वाले कुछ राज्यों में से एक राज्य के रूप में भी पहचान की गई है।

जम्मू व कश्मीर

32. सरकार जम्मू व कश्मीर को सामान्य राज्य आयोजना के अतिरिक्त हाल ही में अनुमोदित पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत विशेष आयोजना सहायता उपलब्ध कराएगी। चालू वर्ष में राज्य आयोजना के लिए 3,008 करोड़ रुपए की तुलना में 2005-06 में राज्य आयोजना के लिए 4,200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। बागलिहार परियोजना को इस वर्ष 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसे अगले वर्ष भी पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उधमपुर-बारामूला रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

33. सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने आयोजना बजट का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं और कार्यक्रमों में आवंटन करना अपेक्षित है। 2005-06 के लिए यह राशि 9,308 करोड़ रुपए होगी। कुमारघाट-अगरतला और लुम्बडिंग-सिलचर-जिरिबाम-इम्फाल परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में रेलवे बजट से बाहर अतिरिक्त निधियों से सहायता दी जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्ग विकास के लिए एक विशेष पैकेज का भी अनुमोदन कर दिया गया है और मैंने इस संबंध में 450 करोड़ रुपए का आबंटन कर दिया है।

ग्रामीण आधारभूत ढांचा

34. सरकार गरीबों को, विशेषकर ग्रामीण भारत में और शहरी गंदी बस्तियों में बुनियादी आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने में विशेष ध्यान केन्द्रित करेगी। ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि जिसे गत जुलाई में बहाल किया गया था, को चालू वर्ष की भांति 2005-06 में भी 8000 करोड़ रुपए की मूल निधि प्रदान की जाएगी।

III. भारत निर्माण

35. संसद को अपने संबोधन में राष्ट्रपति जी ने भारत के निर्माण हेतु एक दूरगामी दृष्टि की रूपरेखा प्रस्तुत की और इसे "भारत निर्माण" का नाम दिया। भारत निर्माण को एक कारोबार योजना के रूप में कल्पित किया गया है, जिसे, विशेषकर ग्रामीण भारत में, आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इसके छह घटक होंगे, अर्थात् सिंचाई, सड़कें, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार संयोजकता। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में हमें निर्भीक होने का साहस करना चाहिए और अपने लिए वर्ष 2009 तक प्राप्त किए जाने वाले उच्च लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के लक्ष्य हैं:

- अतिरिक्त एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाना;
- उन सभी ग्रामों, जिनकी आबादी 1000 है (अथवा पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में 500) को सड़क से जोड़ना;
- गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त घरों का निर्माण;
- पेयजल सुविधा से वंचित शेष 74,000 बस्तियों को पेयजल मुहैया कराना;
- शेष 1,25,000 ग्रामों तक बिजली पहुंचाना और 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली के कनेक्शन देना; और
- शेष 66,822 ग्रामों को टेलीफोन संयोजकता प्रदान करना।

"भारत निर्माण" को विशाल संसाधनों की आवश्यकता होगी। सरकार का विश्वास है कि भारत निर्माण एक हासिल की जा सकने वाली परियोजना है और हमारा इरादा है कि ग्रामीण भारत को एक नया स्वरूप प्रदान किया जाए जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को योजना एवं कार्यान्वयन में पूरी तरह लगाया जाए।

IV. निवेश

36. मैं अब निवेश की ओर रुख करता हूं जो विकास प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए परम आवश्यक है। कृषि में, हम प्रसार, विविधीकरण और मूल्यवर्धन को अवलम्ब प्रदान करने के लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचे में सरकारी और निजी निवेश बढ़ाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक दोनों को पनपने और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की पर्याप्त गुंजाइश दी जाएगी। सरकार सड़कें, रेलवे, विद्युत, समुद्रपत्तन, विमानपत्तन जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने और निवेश सुविधाजनक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। सेवा क्षेत्रक में सरकार, निजी क्षेत्रक द्वारा अदा की गई अग्रणी भूमिका को महत्व देगी और एक सहायतापूर्ण नीति माहौल और स्थिर कर नीतियां प्रदान करेगी।

37. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार 2005-06 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (रेलवे सहित) को 14,040 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता और 3,554 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करेगी।

38. तथापि, सफलता अन्ततः वृद्धि को वित्तपोषित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी। अतः सरकार सही नीतियों और विवेकसम्मत करों के मिश्रण के जरिए बचतों को बढ़ावा देगी और इन बचतों को उत्पादक निवेश में लगाने के लिए अर्थोपाय ढूंढेगी। पूंजी बाजार, बैंक, बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों और अधिवार्षिता निधियों की, उच्च निवेश बनाए रखने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाने और संवितरण करने में निर्णायक भूमिका होगी।

V. कृषि

39. लगभग दो तिहाई आबादी के कृषि पर आश्रित रहने और क्षेत्रक द्वारा 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 21 प्रतिशत उत्पादन करने से, यह अनिवार्य हो गया है कि हम अपने कृषकों की समस्याओं पर तात्कालिकता के आधार पर ध्यान दें। कृषि राज्य का विषय होने के कारण कृषि में सार्वजनिक निवेश का अधिकांश हिस्सा राज्य स्तर पर होता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सहायता एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

कृषि के विविधीकरण की कार्ययोजना

40. भारतीय कृषि का वास्तव में खाद्यान्नों से अन्य फसलों की ओर विविधीकरण हुआ है परन्तु इसके लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है। कृषि मंत्रालय, कृषि के विविधीकरण के लिए एक कार्ययोजना तैयार करेगा। इस कार्ययोजना में फलों, सब्जियों, फूलों, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दालों और तिलहनों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

41. पिछले बजट में घोषित, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 1 अप्रैल, 2005 को की जाएगी। मैं मिशन के लिए 2005-06 में 630 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। मिशन एक एकीकृत ढंग से एक ही छतरी के नीचे अनुसंधान, उत्पादन, फसल-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को शामिल करते हुए उत्पादन और विपणन वाली सर्वांगीण नीति सुनिश्चित करेगा। मिशन जैसे-जैसे गति पकड़ेगा, उसे और अधिक निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

बागान क्षेत्रक

42. मैं बागान क्षेत्रक द्वारा कुछ वर्षों से सामना की जा रही कठिनाइयों से अवगत हूं। हालांकि, चाय या कॉफी जैसी वस्तुओं के मूल्यों में कुछ सुधार दिखाई दिया है, पर यह क्षेत्र अभी भी कठिनाइयों से जूझ रहा है। मूल्य स्थिरीकरण निधि बहुत प्रभावी या लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुई है। अतः सरकार ने निधि और इसके प्रचालन में सुधार सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। चाय के मामले में, चाय की गिरती हुई उत्पादकता के कारण हमारी तुलनात्मक लाभ की स्थिति में बहुत हद तक क्षरण हुआ है। सरकार बड़े पैमाने पर पुनरोपण और पुनर्नवीकरण का कार्यक्रम शुरु करने के तौर-तरीकों की जांच करेगी।

कृषि विपणन आधार संरचना

43. सरकार कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती है। इस योजना का लक्ष्य कृषि बाजारों की

स्थापना, विपणन अवसंरचना और श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी सहायक सेवाओं के लिए निजी और सहकारी क्षेत्रकों से विशाल निवेश को लाना है। यह सहायता ऋण-संबद्ध, आर्थिक सहायता के अंतिम भाग की सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होगी। योजना को उन राज्यों में जो अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) अधिनियमों को संशोधित करेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। मैं इस नई स्कीम के लिए 72 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।

जल संसाधन, बाढ़ प्रबंधन और भू-क्षरण नियंत्रण

44. जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना के लिए मेरे द्वारा पिछली जुलाई में घोषित राष्ट्रीय परियोजना मार्च, 2005 के माह में आरंभ की जाएगी। इस प्रायोगिक परियोजना की योजना 9 राज्यों में 16 जिलों के लिए बनाई गई है और इसमें लगभग 700 जल निकायों को शामिल किया जाएगा और 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। प्रायोगिक परियोजना का आवंटन 2005-06 में बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया गया है।

45. उत्तर प्रदेश, विशेषकर इसका पूर्वी भाग, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम और पूर्वोत्तर राज्य, गंगा बेसिन और ब्रहमपुत्र व बराक घाटियों में बाढ़ द्वारा अक्सर प्रभावित होते हैं। बाढ़ प्रबंधन और भू-क्षरण नियंत्रण के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु गठित एक कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 2005-06 में रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए आयोजना परिव्यय 180 करोड़ रुपए होगा। इसके अतिरिक्त फरक्का बांध परियोजना के लिए 52 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

46. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की पुनरीक्षा की गई है और ध्यान वास्तविक रूप से अंतिम चरण में चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर केन्द्रित हुआ है। बजट अनुमान 2004-05 में, मैंने 2,800 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की थी। कार्यान्वयन की गति में सुधार को देखते हुए अगले वर्ष के लिए परिव्यय बढ़ाकर 4,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई

47. भारतीय कृषि में जल उपयोग की कुशलता विश्व की निम्नतम श्रेणियों में से है। सरकार का सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी, जिसमें टपकाव तथा छिड़काव सिंचाई भी शामिल है, को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी। अभी तक लगभग 1.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है तथा दसवीं योजना के अंत तक 3 मिलियन हेक्टेयर तक तथा ग्यारहवीं योजना के अंत तक 14 मिलियन हेक्टेयर तक इसका विस्तार करने की योजना है। तदनुसार, मैंने 2005-06 में सूक्ष्म सिंचाई के संवर्धन के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

ग्रामीण उधार तथा ऋणग्रस्तता

48. सरकार वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का ध्यान ग्रामीण परिवारों तथा कृषि परिवारों को ऋण, विशेषकर उत्पादन ऋण प्रदान करने की तरफ केन्द्रित करना चाहती है। विशेषकर कृषि संबंधी उधार में परिवर्तनों की संभावनाएं हैं। मेरा भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव है कि वह ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठनों, ग्रामीण स्टालों तथा ग्राम सूचना केन्द्रों की संरचना का उपयोग करके एजेंसी माडल के रूप में बैंकों को अनुमति देने संबंधी मुद्दे पर विचार करे।

49. जून, 2004 मे मैंने कृषि ऋण प्रवाह के तीन वर्षों में दुगुना कर देने के अपने इरादे की घोषणा की थी। मैंने 105,000 करोड़ रुपए के संकेतात्मक लक्ष्य की भी घोषणा की थी। सहकारी बैंकों के निम्न निष्पादन के बावजूद, सभी तीन शाखाओं द्वारा चालू वर्ष के दौरान 108,500 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इसी मार्ग पर चलते हुए मैं वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से 2005-06 में ऋण प्रवाह में और 30 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए कहूंगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उधारकर्त्ताओं की संख्या में और 50 लाख की वृद्धि करने के लिए कहा जाएगा।

50. भारत में सहकारी बैंकों की हालत, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, बेहद खराब है। 6 राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा 140 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । कृषि ऋण के लिये पुनर्वित्त के आकलन की भी उनके सामने कठिनाई है। इस स्थिति की गंभीरता से सचेत होकर मैंने सहकारी बैंक प्रणाली के लिए अपेक्षित सुधारों पर विचार करने के लिए एक कार्यबल की नियुक्ति की थी। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उनकी रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं ः

- संचित हानियों का निपटान करने तथा सहकारी ऋण संस्थाओं के पूंजीगत आधार को मजबूत बनाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता;
- लोकतांत्रिक संस्थायें सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत पुनर्गठन; तथा
- कानून ढांचे में परिवर्तन करना जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को विवेकपूर्ण आर्थिक प्रबंधन के लिए अधिकार प्रदान किए जा सकें।

मै सिद्धांत रूप से इस रिपोर्ट को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं राज्य सरकारों को परामर्श के लिए बुलाकर ऐसे राज्यों में, जो इन सिफारिशों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई आरम्भ करने का प्रस्ताव भी रखता हूं।

कृषि बीमा

51. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 से प्रचालन में है। एक बेहतर कृषक-सहयोगी कृषि बीमा योजना के लिए सुझाव देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त दल की सिफारिशें मुझे प्राप्त हुई हैं। इसके बाद सभी जोखिम उठाने वाली कंपनियों के साथ परामर्श किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को उसके वर्तमान रूप में खरीफ तथा रबी 2005-06 के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

सूक्ष्म वित्त

52. स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने का कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्म-वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। इस समय 560 बैंक, जिनमें 48 वाणिज्यिक बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 316 सहकारी बैंक शामिल हैं, इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। आगामी राजकोषीय वर्ष में ऋण-सम्पर्क के लिए मैं स्व-सहायता समूहों की संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का प्रस्ताव रखता हूं।

53. इस समय, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंकों से वित्त प्राप्त करती हैं। ये एमएफआई निम्न आय वाले परिवारों तथा लघु अनौपचारिक कारोबार के लिए छोटे ऋण तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान करना चाहती हैं। सरकार इन संस्थाओं का बड़े पैमाने पर संवर्धन करने का इरादा रखती है। मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे

बढ़ने के लिए एमएफआई की पहचान, वर्गीकरण और दर्जा निर्धारण करके उन्हें अधिकार प्रदान करने होंगे जिससे वे ऋण दाता बैंकों तथा लाभानुभोगियों के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य कर सकें। वाणिज्यिक बैंक अपनी तरह से लेनदेन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए "बैंकिंग प्रतिनिधि" के रूप में एमएफआई की नियुक्ति कर सकते हैं। चूंकि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को नई पूंजी की आवश्यकता है इसलिए मैं विद्यमान 100 करोड़ रुपए वाली सूक्ष्म वित्त विकास निधि को "सूक्ष्म वित्त विकास तथा इक्विटी निधि" के रूप में पुनःनिर्दिष्ट करता हूं तथा इसकी मूल निधि को बढ़ा कर 200 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। एक बोर्ड द्वारा, जिसमें नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि तथा इस विषय का ज्ञान रखने वाले पेशेवर शामिल होंगे, इस निधि का प्रबंधन किया जाएगा। इस बोर्ड से उपयुक्त विधान संबंधी सुझाव देने के लिए कहा जाएगा तथा मैं आगामी राजकोषीय वर्ष के दौरान एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत करने की आशा करता हूं।

54. मैं भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव रखता हूं कि वह सूक्ष्म वित्त संबंधी कार्यों से जुड़े गैर-सरकारी पात्र संगठनों को विदेशी वाणिज्यिक उधार सुविधा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करे। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपायों सहित विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे।

सूक्ष्म बीमा

55. बीमा क्षेत्र को खोले जाने संबधी लाभों को अब प्रत्यक्ष रूप से बीमा की पैठ तथा बीमा की संख्या में व्यापक सुधार तथा उत्पादों की व्यापक विविध उपलब्धता के रूप में देखा जा सकता है। सरकार इन लाभों को ग्रामीण भारत तथा देश के साधनहीन वर्गों तक पहुंचा हुआ देखना चाहती हैं। सूक्ष्म बीमा एक अलग तरह का उत्पाद है। इसकी रूप रेखा तथा सेवा-प्रणाली, विशिष्ट प्रकार के कार्य हैं। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूक्ष्म वित्त के लिए विनियमों का मसौदा प्रकाशित किया है। गैर सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों, सहकारिताओं तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को सूक्ष्म बीमा एजेन्ट बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार सूक्ष्म बीमा के संवर्धन के लिए आईआरडीए के प्रयासों में पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।

प्रत्येक ग्राम में ज्ञान केन्द्र

56. राष्ट्रीय कृषक आयोग ने आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए देश भर में ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने की सिफारिश की है। सामाजिक संगठनों सहित लगभग 80 संगठनों वाले एक गठबंधन द्वारा आरम्भ किया गया मिशन 2007 एक राष्ट्रीय पहल है। इनका लक्ष्य स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ तक प्रत्येक गांव में एक ज्ञान केन्द्र की स्थापना करना है। सरकार इस लक्ष्य का समर्थन करती है तथा मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस गठबंधन में शामिल होने तथा नाबार्ड के माध्यम से सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मैं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड को अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि अनुसंधान

57. विविधीकरण के पुनःप्रवर्तन तथा प्रोत्साहन संबंधी कार्यनीति में कृषि अनुसंधान द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। हमारे कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा विगत में अच्छा कार्य किया गया है तथा अब उन्हें सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है। डा.एम.एस. स्वामीनाथन् के नेतृत्व में गठित एक कार्यबल ने महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय निधि बनाए जाने की सिफारिश की है। इस निधि के प्रचालन हेतु 50 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक प्रावधान की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

VI. विनिर्माण

58. भारत को अपनी विनिर्माण क्षमता को मजबूत बना कर उसे वैश्विक स्तर तक लाना चाहिए। निवेश आयोग तथा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद दोनों ने ही इस दिशा में गंभीरता से कार्य आरम्भ किया है। मुझे विश्वास है कि आगामी वित्तीय वर्ष में हम उनके कार्य की प्रारम्भिक सफलताओं का लाभ प्राप्त करेंगे।

59. विनिर्माण ने विश्व भर में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए तथा टैरिफ दरों के उदारीकरण और कमी किए जाने के कारण उत्पन्न प्रतिस्पर्धा संबंधी दबाव के साथ समायोजन करने के लिए मैं एक नई स्कीम आरम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूं जिससे उनके प्रचालन मजबूत होंगे तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पैनी होगी। इस स्कीम को "विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम" के नाम से जाना जाएगा। इस स्कीम की रूपरेखा उद्योग जगत के परामर्श से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद द्वारा तैयार की जाएगी।

वस्त्रोद्योग

60. पिछले बजट में, मैंने वस्त्र उद्योग से जुड़ी कर संबंधी दुरूहताओं के समाधान की शुरुआत की थी ताकि इस क्षेत्र को कोटा-पश्च व्यवस्था के लिए तैयार किया जा सके। इस क्षेत्र में अब एक नई जान आई है, विशेषकर हथकरघा और बिजली करघा के क्षेत्रों में सरकार रोजगार और निर्यात की विशाल सम्भावनाओं वाले वस्त्रोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना जारी रखेगी। 2004-05 में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने का अनुमान है और आगामी वर्ष के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। 435 करोड़ रुपए के संवर्धित आवंटन के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफ) को जारी रखा जा रहा है। मैं टीयूएफ स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सामान्य लाभों के अतिरिक्त वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी स्कीम आरम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूं।

61. मेरे विचार से हथकरघा क्षेत्र को और अधिक सहायता प्रदान की जानी आवश्यक है। सरकार का हथकरघा उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन के लिए समूहन विकास प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा पहले चरण में 40 करोड़ रुपए की लागत से 20 समूहों को लिया जाएगा तथा वर्ष के दौरान यह धनराशि प्रदान की जाएगी।

62. सरकार हथकरघा जुलाहों के लिए एक जीवन बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है जो 50,000 रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध कराती है। वर्तमान में, केवल 2 लाख जुलाहों को कवर किया गया है। मैं इस स्कीम को दो वर्षों में 20 लाख जुलाहों को शामिल कर विस्तारित करने का प्रस्ताव रखता हूं, जिस के पूर्णतया अस्तित्व में आने पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार जुलाहों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पैकेज के कार्यान्वयन पर भी विचार कर रही है, यहां भी, अभी कवरेज केवल 25,000 जुलाहों तक सीमित है। मैं प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए की आवर्ती लागत पर इस कवरेज को 2 लाख जुलाहों तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं। यदि एक बार ये दोनों नई और विस्तारित योजनाएं स्वीकृत हो जाती हैं तो मैं इनके सम्बन्ध में अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखता हूं।

चीनी उद्योग

63. चीनी उद्योग वर्ष 2001 से वित्तीय दबाव में रहा है, यह स्थिति देश के कतिपय भागों में लगातार सूखे की स्थिति के कारण बदतर हुई है। सरकार द्वारा नियुक्त टुटेजा समिति ने अपनी

रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच के उपरान्त तथा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड से परामर्श के बाद, मैं चीनी उद्योग की बहाली हेतु निम्नालिखित वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखता हूंः

- चीनी मौसम 2002-03 में चालू चीनी फैक्ट्रियों को पुनर्सरंचना हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। नाबार्ड, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं से परामर्श करके मूलधन तथा ब्याज दोनों के सम्बन्ध में दो वर्ष के लिए अधिस्थगन सहित एक वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने की स्कीम तय करेंगे और प्रत्येक यूनिट की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के सम्बन्ध में भुगतान कार्यक्रम तैयार करेंगे।

- सरकार ने पहले ही चीनी विकास बैंक से लिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर को बैंक दर से नीचे 2 प्रतिशत अंक तक घटा दिया है। मैं 21 अक्तूबर, 2004 तक बकाया ऋणों पर लागू यही दर लागू रखने का प्रस्ताव रखता हूं।

- भारतीय बैंक एसोसिएशन और नाबार्ड से एक स्कीम पर कार्य करने को कहा जाएगा जिसके तहत पृथक्-पृथक् चीनी मिलें अपने पिछले उच्च ब्याज ऋणों के सम्बन्ध में ब्याज दर पर नए सिरे से बातचीत कर सकें।

भेषज तथा जैव प्रौद्योगिकी

64. हमारा मानव संसाधन आधार हमें भेषज तथा जैव-प्रौद्योगिकी में अद्वितीय लाभ प्रदान करता है। भारतीय भेषज उद्योग ने नयी पेटेंट व्यवस्था के अन्तर्गत दवाइयों के निर्माण में अपनी तत्परता व्यक्त की है। सरकार ने पहले ही इस उद्योग हेतु 150 करोड़ रुपए की अनुसंधान तथा विकास आधारभूत निधि की स्थापना की है। इस आधारभूत निधि को बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं अगले वर्ष से विभिन्न चरणों में ऐसा करने का प्रस्ताव रखता हूं। भारत में औषधि खोज और क्लिनिकल अनुसंधान के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग तथा औषधियों और विनिर्माण के सह-विकास के लिए एक आकर्षक गन्तव्य होने की भी सम्भावना है। जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इस उद्योग के पास स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रों को बेजोड़ प्रौद्योगिकियां तथा उत्पादों की आपूर्ति कर वैश्विक नेतृत्व देने की संभावना है। सरकार इन दोनों उद्योगों को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए स्थिर नीतिगत माहौल तथा आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी।

लघु तथा मध्यम उद्यम

65. हाल के वर्षों में, लघु उद्योग के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण बदला है और अब हम इस क्षेत्र को लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के रूप में मानने को तैयार हैं। कुछ वर्ष पहले प्रारम्भ की गयी प्रक्रिया को जारी रखते हुए पण्यधारियों से परामर्श के बाद और परामर्शी समिति की सिफारिश पर, लघु उद्योग मंत्रालय ने 108 मदों की पहचान उन्हें आरक्षण मुक्त करने के के लिये की है। उन में से मैं यहां उल्लेख करना चाहूँगा कि 30 मदें "हौजरी सहित कपड़ा उत्पाद" की श्रेणी में आती हैं और यह क्षेत्रक तीव्र विकास के पथ पर है।

66. पिछले बजट में, मैंने पूंजी सब्सिडी योजना का पर्याप्त मात्रा में उदारीकरण किया और "लघु उद्योग योजनाओं के संवर्धन" हेतु 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उस प्रावधान को वर्ष 2005-06 में बढ़ाकर 173 करोड़ रुपए किया जा रहा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने इस वर्ष 500 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ एक एसएमई विकास निधि की स्थापना की है। इस निधि में से औषधि, बायोटेक और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे ज्ञान-आधारित उद्योगों की लघु और मध्यम इकाइयों को इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी।

67. एक ऐसे नए विधान की आवश्यकता है जो लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु एक सहायक माहौल की व्यवस्था करे। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे सहयोगी लघु उद्योग मंत्री इस सत्र में लघु तथा मध्यम उद्यम विकास विधेयक पेश करेंगे।

कौशल प्रशिक्षण

68. विशेषकर उन नवयुवकों जिनके पास केवल अल्प औपचारिक शिक्षा है, हेतु कौशल विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अब आगे अवहेलना नहीं की जा सकती। गत जुलाई में, मैंने 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन का प्रस्ताव किया था मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि चालू वर्ष में 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान कर ली गयी है। उनमें से 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 67 आईटीआई को उद्योग से जोड़ दिया गया है और 1.6 करोड़ की लागत से उनका उन्नयन किया जाएगा।

69. उच्च स्तर पर विशिष्ट कौशल की मांग बनी रहती है जिसकी अक्सर पूर्ति नहीं की जाती। इसलिए मैं सरकार तथा उद्योग के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं जो कौशल विकास कार्यक्रम अथवा एसडीआई नाम से कौशल विकास कार्यक्रम को हाथ में लेगी। इस योजना के ब्यौरों को तैयार किया जाएगा तथा शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी।

विदेशी व्यापार

70. हम अर्थव्यवस्था की बढ़ती विदेशी ताकत को मजबूत करेंगे। सरकार ने विदेशी व्यापार में तेजी लाने के आश्वासन को पूरा किया है। अप्रैल-जनवरी, 2004-05 में निर्यात तथा आयात में अमरीकी डालर में, क्रमशः 25.55 प्रतिशत तथा 34.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सरकार ने विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दुगुना कर 1.5 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2008-09 तक निर्यात के सम्बन्ध में 150 बिलियन अमरीकी डालर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारा इरादा व्यापार नीति को और उदार बनाने तथा हमारे निर्यातकों का इन प्रयासों को पूर्ण समर्थन प्रदान करने का है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

71. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों से एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करुंगा। जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों की हाल की बैठक में जिसमें भारत तथा चीन को आमंत्रित किया गया था, चीन के वित्त मंत्री ने मेरी पहल पर विचार किया और उपस्थित लोगों को अवगत कराया कि चीन ने वर्ष 1980 से अपनी अर्थव्यवस्था को खुला बनाने के बाद 500 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी निवेश प्राप्त किया। इसमें से कलैंडर वर्ष 2004 में लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश प्राप्त हुआ। हमारा स्वयं का भी अनुभव यह रहा है कि आटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों को एफडीआई से लाभ प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपने को वैश्विक उत्पादन की श्रृंखला से जोड़ा है। मेरा विश्वास है कि खनन, व्यापार तथा पेंशन जैसे और क्षेत्रों में भी अवसर हैं। सरकार यथोचित परामर्श के बाद उपयुक्त प्रस्तावों के साथ आगे आएगी।

VII. आधारभूत ढांचा

दूरसंचार

72. दूरसंचार शहरी तथा ग्रामीण भारत को आपस में जोड़ने का सर्वोत्तम उपाय है। जनवरी, 2005 के अन्त तक, हमने 8.75 प्रतिशत का दूर-घनत्व प्राप्त किया। तथापि, हम ग्रामीण क्षेत्रों

में निम्न दूर-घनत्व के प्रति चिन्तित हैं। अब तक, सरकार ने सार्वभौम सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से 1,700 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिसका पूर्ण उपयोग हो गया है। वर्ष 2005-06 में 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यूएसओ निधि के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी के दूरभाषों के सम्बन्ध में 1,687 उपखंड सहायता प्राप्त करेंगे। अब तक 5.20 लाख ग्रामीण सार्वजनिक दूरभाष (वीपीटी) लगाये जा चुके हैं और बीएसएनएल ने आगामी तीन वर्षों में शेष 66,822 राजस्व गांवों को वीपीटी मुहैया कराने का कार्य हाथ में लिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

73. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) ने लगातार प्रगति की है और 5,172 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचडीपी I तथा एनएचडीपी II के तहत जनवरी, 2005 तक चार लेनों वाला बना दिया गया है। आगामी राजकोषीय वर्ष में संचालित किए जाने वाले एनएचडीपी-III का उद्देश्य उन चुनिंदा उच्च घनत्व वाले राजमार्गों पर कार्य करना होगा जो स्वर्ण चतुर्भुज तथा उत्तर-दक्षिण अथवा पूर्व-पश्चिम गलियारों का भाग नही हैं। मैंने इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2005-06 में 4000 किमी. की चार लेन वाले मार्ग हेतु 1,400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्बन्ध में एक विशेष पैकेज को भी स्वीकार कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में मैंने 450 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। समग्र रूप में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए परिव्यय में ब.अ. 2004-05 में 6,514 करोड़ रुपए से बढ़ोतरी कर यह वर्ष 2005-06 में 9,320 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण

74. ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में एक व्यापक कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ किया जाएगा जिसका उद्देश्य पांच वर्षों में 1.25 लाख गांवों को कवर करना होगा। इस कार्यक्रम का जोर इसकी कमी वाले राज्यों पर केन्द्रित होगा। इस कार्यक्रम में प्रत्येक खंड में 33/11 किलोवाट सहित ग्रामीण विद्युत वितरण आधार का निर्माण करने तथा प्रत्येक गांव में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करने की व्यवस्था है। मैंने आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम हेतु 1,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

इन्दिरा आवास योजना

75. इन्दिरा आवास योजना कमजोर वर्गों के लिए एक प्रमुख आवास योजना है। इस हेतु आबंटन को चालू वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ब.अ. 2005-06 में 2,750 करोड़ रुपए किया जा रहा है। अगले वर्ष के दौरान लगभग 15 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा।

विशेष प्रयोजनीय साधन

76. त्वरित आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे की महत्ता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता। भारत में सर्वाधिक अभाव का नमूना ढांचागत अभाव है। आधारभूत ढांचे में निवेश को निरन्तर बजट से वित्तपोषित किया जाएगा। तथापि, ऐसी अनेक ढांचागत परियोजनाएं हैं जो वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हैं परन्तु मौजूदा स्थिति में संसाधनों को जुटाने में कठिनाइयां महसूस कर रही हैं। मैं ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय विशेष प्रयोजनीय साधन (एसपीवी) के माध्यम से वित्तपोषित करने का प्रस्ताव रखता हूं। जब बड़ी आधारभूत परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है तो विदेशी मुद्रा संसाधनों को आवश्यक आयातों के वित्तपोषण हेतु आहरित किया जा सकता है। तद्नुसार, मैं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु एसपीवी की स्थापना का प्रस्ताव रखता हूं। सड़क, पत्तन, हवाईपत्तन, तथा पर्यटन ऐसे क्षेत्र हैं जो एसपीवी से सर्वाधिक लाभान्वित हो सकते हैं। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं

के अन्तर-सांस्थानिक समूह द्वारा किया जाएगा। एसपीवी पात्र परियोजनाओं को सीधे ही निधियां विशेषकर दीर्घकालिक परिपक्वता के ऋण उधार देंगी ताकि ये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त अन्य ऋणों की पूरक हों। सरकार प्रत्येक राजकोषीय वर्ष के प्रारम्भ में एसपीवी को उधार-सीमा के बारे में सूचित करेगी। वर्ष 2005-06 के सम्बन्ध में, मैं उधार सीमा 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

77. मैंने ढांचागत परियोजनाओं के सम्बन्ध में, "व्यवहार्यता अन्तराल" के निधिपोषण हेतु 1500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। यह प्रणाली एसपीवी के माध्यम से वित्तपोषित प्रणाली के साथ उपयोग की जाएगी।

पूरा (पीयूआरए) समूह

78. असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्रक 92 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है और यह वर्ष भर के अधिकांश श्रमिक बल को अपने में खपा लेता है। "पूरा" अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान एक ऐसा विचार है जिसके भीतर ग्रामीण भारत की अनेक समस्याओं के संभव समाधान हैं, यथा-बेरोजगारी, बाजारों से संपर्क न होना, संयोजनता का अभाव और शहरों की ओर प्रवासन । क्षेत्रक संबंधी राष्ट्रीय उद्यम आयोग ने "पूरा" सिद्धांतों को लागू करने के लिए "अभिवृद्धि छोरों" के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। इनका उद्देश्य औद्योगिक क्रियाकलापों और सेवाओं के विद्यमान समूहों के आसपास असंगठित उद्यमों में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के साथ नए समूहों के निर्माण को प्रोत्साहन देना भी है। एक बार इन प्रस्तावों के निश्चित होते ही सरकार 2005-06 में प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में कुछ अभिवृद्धि छोरों का सृजन करेगी।

राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

79. देश में जनसांख्यिकी प्रवृत्तियां शहरीकरण में तीव्र वृद्धि को दर्शाती हैं। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए संतोषजनक स्तर की शहरी सुविधाओं की आवश्यकता है। यदि हमारे शहरों को नवीकृत नहीं किया गया तो वे समाप्त हो जाएंगे। इस चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तैयार किया गया है। यह सात महानगरों, एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों और कुछ अन्य कस्बों को शामिल करेगा।

मैं इस मिशन के लिए 1,650 करोड़ रुपए के अनुदान संघटक सहित 2005-06 में 5,500 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

80. मुंबई मेट्रो रेल परियोजना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई वैस्टर्न एक्सप्रेस वेज सी-लिंक और बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना इन परियोजनाओं के उदाहरण हैं, जिन्हें इस मिशन के माध्यम से सहायता दी जा सकती है।

VIII. वित्तीय क्षेत्रक

81. अवसंरचना, उद्योग (आवासन सहित) और सेवाओं में आरंभिक निवेश तेजी को बैंक वित्तपोषण तथा ऋण व इक्विटी बाजारों में सुधारों सहित वित्तीय क्षेत्रक में और सुधारों के माध्यम से करने की आवश्यकता है।

बैंकिंग

82. बैंकिंग क्षेत्रक विरोधाभासों की तस्वीर प्रस्तुत करता है। भारत में अनेक बैंक हैं परन्तु उनमें से एक भी विश्व के शीर्ष बीस बैंकों में शामिल नहीं है। हमारा सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक कारोबार के अर्थों में 82वां स्थान रखता है। सार्वभौम रूप से माना जाता है कि प्रतिस्पर्धा,

सुदृढ़ीकरण और समाभिरुपता भविष्य में बैंकिंग क्षेत्रक के महत्वपूर्ण चालक होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्रक में सुधारों की एक रुपरेखा तैयार की है और जिसे वह प्रदर्शित करेगा। जबकि अधिकतर प्रस्तावों का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके अपने प्राधिकार द्वारा किया जाएगा परन्तु कुछ विधायी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी।

83. मैंने वचन दिया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मैं इस अधिनियम में निम्न संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं -

- सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) की निचली और ऊपरी सीमाओं को समाप्त करना तथा विवेकपूर्ण मानदंडों के निर्धारण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को नम्यता प्रदान करना;
- बैंकिंग कंपनियों को अधिमानी शेयरों के निर्गम की अनुमति देना क्योकि बेसेल मानदंडों के अनुसार कतिपय परिस्थितियों में अधिमानी शेयर पूंजी को विनियामक पूंजी माना जा सकता है;
- इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराओं के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और उनकी सहायक कंपनियों के समेकित पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु विशिष्ट उपबंध लागू करना;

मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का प्रस्ताव भी करता हूं -

- नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) की सीमाएं समाप्त करना और मौद्रिक नीति के अधिक नम्य संचालन को सुकर बनाना; और
- भारतीय रिजर्व बैंक को रिपो, प्रतिवर्ती रिपो अथवा अन्यथा तरीके से उधार देने अथवा लेने में समर्थ बनाना ।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

84. बढ़ती हुई दीर्घायु के साथ, वृद्धावस्था आय सुरक्षा संबंधी समस्या की ओर अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार ने नए भरती हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम की घोषणा की थी जिसका असंगठित क्षेत्र में भी विस्तार किया जाएगा। मुझे सदन में यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सात राज्य सरकारों- आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, राजस्थान. और तमिलनाडु ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी स्कीमें शुरू कर दी है। अन्य राज्यों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। पीएफआरडीए की स्थापना के लिए 29 दिसंबर, 2004 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। मैं इस सत्र के दौरान इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करता हूं।

85. मैं इस नई स्कीम के माध्यम से अभिदाता को निवेश विकल्पों की एक सूची देने और एक सुदृढ़ विनियामक तंत्र का प्रस्ताव है ताकि अभिदाताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। मैं पूरे देश के श्रमिकों से अपील करता हूँ कि इस नई पेंशन प्रणाली में शामिल हो।

पूंजी बाजार

86. पूंजी बाजार बचतों को निवेश में बदलने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा है। यह विदेशी बचतों का तरजीही निवेश गंतव्य भी है। पिछली जुलाई में मेरे द्वारा घोषित और कार्यान्वित

उपायों ने पूंजी बाजार को मजबूती प्रदान की है। अब और उपाय करने का समय आ गया है तथा इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

- प्रतिभूति बाजारों में मध्यवर्तियों को पढ़ाने व प्रशिक्षण देने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की स्थापना हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्राधिकृत किया जाए; और
- घरेलू बाजार में व्युत्पादों का कारोबार करते समय "सेबी" द्वारा विनिर्दिष्टानुसार नकद अथवा अन्यथा समुचित संपर्श्विक प्रस्तुत करने की एफआईआई को अनुमति दी जाए।

जहां भारत के इक्विटी बाजार ने प्रगति की है वहां कारपोरेट बांड बाजार अभी भी पीछे हैं। इस अंतराल को दूर करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि;

- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत "प्रतिभूति" की परिभाषा संशोधित की जाए ताकि बंधक आधारित कर्ज सहित प्रतिभूतिकृत ऋण के व्यापार हेतु विधायी ढांचे की व्यवस्था की जा सके; और
- कारपोरेट बांड बाजार के विकास में विधायी, विनियामक, कर और बाजार निर्गमों की जांच के लिए कारपोरेट बांड और प्रतिभूतिकरण संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जाए।

काउंटर उपलब्ध (ओटीसी) व्युत्पाद

87. काउंटर उपलब्ध (ओटीसी) व्युत्पाद कारपोरेटों, बैंकों और अन्य वित्तीय कंपनियों के जोखिम कम करने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तथापि, ओटीसी व्युत्पाद संविदाओं की वैधत्ता के बारे में कुछ अस्पष्टता है जिसने उनकी अभिवृद्धि को रोक रखा है। इसलिए मैं ऐसी संविदाओं की स्पष्ट विधायी वैधता की व्यवस्था करने के उपायों का प्रस्ताव करता हूँ।

स्टाक एक्सचेंज निगमीकरण पर स्टाम्प शुल्क

88. हाल ही में यथासंशोधित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 सभी स्टाक एक्सचेंजों से निगमीकृत व पृथक्कीकृत होने की अपेक्षा करता है। तीन स्टाक एक्सचेंजों का अभी निगमीकरण नहीं हुआ है। उनके निगमीकरण के लिए मैं उन्हें परिसंपत्तियों के अप्रयोगमूलक अंतरण पर स्टाम्प शुल्क से एकबारगी छूट की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

वाणिज्यिक दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क

89. बैंकों और बैंक-भिन्न कंपनियों को वाणिज्यिक दस्तावेज जारी करने के लिए एकसमान कार्य क्षेत्र के सृजन और भारतीय वाणिज्यिक दस्तावेज बाजार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के और करीब लाने के लिए स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ ताकि यह निर्गमकारी कंपनी को ध्यान में रखे बगैर समान रूप से लागू हो।

मुंबई-एक क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र

90. जब मैं विश्व के नक्शे पर देखता हूं तो मुंबई की महत्वपूर्ण अवस्थिति से प्रभावित हो जाता हूँ। यह लंदन और टोक्यो के लगभग बीच में है जो विश्व वित्त के दो शक्ति केन्द्र हैं। मुंबई में राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) और बंबई स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) भी स्थित हैं जो सौदों की प्रति वर्ष संख्या के संदर्भ में विश्व के स्टाक एक्सचेंजों में अब तीसरे और पांचवे स्थान पर हैं।

पिछले दशक में हमने प्रतिभूति बाजारों से संबंधित विश्व श्रेणी की संस्थाओं का निर्माण किया है और हम अब इनकी प्रौद्योगिकीय आधुनिकता, जोखिम प्रबंधन और स्वस्थ अभिशासन के अर्थों में सर्वोत्तम से तुलना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मुंबई को वित्त का एक क्षेत्रीय केन्द्र बनाने के लिए कार्य करने का समय आ गया है। मैं भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मुंबई को क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र बनाने के लिए सरकार को सलाह देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वर्ण यूनिट

91. दस वर्ष पूर्व हमने यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी कि सोने की आवक सिर्फ सरकारी चैनलों के माध्यम से हो। मैं विश्वास करता हूँ कि अब हम इस स्थिति में हैं कि 'स्वर्ण यूनिटें' शुरू की जाएं और ऐसी यूनिटों के लिए बाजार का सृजन किया जाए। मैं 'सेबी' से यह कहने का प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से अंतनिर्हित आस्ति के रूप में सोने के लिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स(जीईटीएफ) शुरू करने की म्यूचुअल फंडों को अनुमति दे ताकि कोई भी परिवार कम से कम 100 रुपए के यूनिटों में सोने की खरीद फरोख्त करने में समर्थ हो सकें। ऐसी यूनिटों के सौदे म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की तरह ही किए जा सकते हैं।

IX. अन्य प्रस्ताव

उत्कृष्टता वाले संस्थान

92. प्रधानमंत्री ने 6 जनवरी, 2005 को गुणवत्तापूर्वक मानव पूंजी के निर्माण के मुद्दों की जांच के लिए ज्ञान आयोग की स्थापना के संबंध में अपने इरादे के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। सरकार का विश्वास है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा अनुसंधान व विकास संगठनों में निवेशों का उतना ही महत्व है जितना भौतिक पूंजी और भौतिक अवसंरचना में निवेशों को दिया जाता है। हमें आवश्यकता है विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों की और इसकी शुरूआत हमें एक संस्था से करनी होगी। हमारा एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जो आक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड अथवा स्टेनफोर्ड की तरह हो। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर का चयन किया है जिसे अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है। हम कुछ वर्षों में आईआईएससी को विश्व श्रेणी का विश्वविद्यालय बनाने का कार्य करेंगे। मैं इस प्रयोजनार्थ अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वैट

93. सहकारी संघवाद की भावना का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए सरकार इस देश में अभूतपूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर सुधार करने के लिए तैयार हैं। सभी राज्य 1 अप्रैल, 2005 से मूल्य वर्द्धित कर लागू करने पर सहमत हो गए हैं। वैट आधुनिक, सरल और पारदर्शी कर प्रणाली है जो विद्यमान बिक्री करों को प्रतिस्थापित करेगा और बिक्री कर के प्रपाती प्रभाव को समाप्त करेगा। यह श्रीलंका से चीन तक 130 से अधिक देशों में लागू है। भारत में भी केंद्रीय स्तर पर वैट (सेनवैट) लागू है परन्तु यह केवल सामानों पर ही है।

94. मेरा लक्ष्य है कि मध्यम से दीर्घावधि में केंद्र और राज्यों दोनों को सम्मिलित करते हुए समूची उत्पादन-वितरण कड़ी को राष्ट्रीय वैट अथवा इससे भी बेहतर वस्तु और सेवा कर द्वारा कवर किया जाए।

95. मुख्यमंत्रियों के ठोस समर्थन से राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति ने पिछले 7 वर्षों की मेहनत के बाद सभी राज्यों को स्वीकार्य एक रूपरेखा पर पहुंची है। केन्द्र सरकार ने अपने पूर्ण समर्थन का वचन दिया है और किसी राजस्व हानि की स्थिति में, एक सम्मत सूत्र के अनुसार, राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी वह सहमत हो गई है। मैं इस अवसर पर अधिकारप्राप्त समिति की प्रशंसा करता हूँ, तथा राज्यों को वैट के आरंभ और कार्यान्वयन की सफलता की कामना करता हूँ।

बारहवां वित्त आयोग

96. 26 फरवरी, 2005 को मैंने बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। टीएफसी की सिफारिशों में कर अंतरण, राज्यों को अनुदान, ऋण राहत, व्यय का वित्तपोषण और अन्य मामले शामिल हैं। राज्यों को इस निर्णय से पर्याप्त लाभ मिलेगा।

97. परन्तु, टीएफसी कि सिफारिशों के कार्यान्वयन से 2005-10 की अवधि के दौरान केन्द्रीय वित्त व्यवस्था पर एक बड़ा राजकोषीय बोझ पड़ेगा, विशेषकर पहले वर्ष अर्थात 2005-06 में जब नई प्रणाली शुरू होगी। केन्द्रीय ऋणों के समेकन और पुनर्व्यवस्था, ब्याज दर में कटौती और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विशिष्ट अनुदानों से केन्द्र सरकार की पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियों, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2005-06 के लिए केन्द्रीय बजट पर कुल असर लगभग 26,000 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में एक प्रतिशतांक के तीन-चौथाई से अधिक होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका 2005-06 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के पालन में सरकार की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा।

रक्षा व्यय

98. पिछले वर्ष जुलाई में, व्यय के बैकलॉग जिसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, की पूर्ति के लिए, मैंने रक्षा आबंटन बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपए कर दिया था। सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि एक अन्तराल के बाद रक्षा व्यय वर्ष 2004-05 में बजट अनुमानों के अनुरूप रहे हैं। मैं 2005-06 में रक्षा आबंटन को बढ़ाकर 83,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए 34,375 करोड़ रुपए का आबंटन भी शामिल होगा।

X. राजकोषीय समेकन

99. उच्च वृद्धि की वर्तमान अवस्था हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसे हमें नही गंवाना चाहिए। हमें इस अवसर का उपयोग देश की राजकोषीय हालत में सुधार के लिए करना चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत ढांचा पर अधिक परिव्ययों के भुगतान के लिए अपने राजस्वों में वृद्धि और व्यय को संतुलित करना है।

परिव्यय बनाम परिणाम

100. साथ ही साथ मैं इस बात के लिये भी सचेत करता हूँ कि परिव्यय का अर्थ आवश्यक रुप से परिणाम नहीं होता है। देश के लोग परिणामों में दिलचस्पी रखते हैं। प्रधानमंत्री ने बारंबार इस आवश्यकता पर जोर दिया है कि कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार और सेवा प्रदाय प्रणाली की सक्षमता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान, हम योजना आयोग के साथ मिलकर सभी बड़े कार्यक्रमों के विकास परिणामों की परख के लिए एक तंत्र बनाएंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रमों और योजनाओं को, बिना किसी स्वतंत्र और बारीकी से किए गए मूल्यांकन के, एक आयोजना अवधि से दूसरी आयोजना अवधि में अनिश्चित काल के

लिए जारी न रहने दिया जाए। नागरिक समाज को सेवा प्रणाली की सक्षमता पर सरकार के साथ एक स्वस्थ बहस छेड़नी चाहिए।

सब्सिडियां

101. पिछले वर्ष जुलाई में की गई घोषणा के बाद, मैने केन्द्रीय सरकारी की सब्सिडियों पर संसद के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। तीन मुख्य उत्पाद हैं जिन्हें बजट और अन्यथा रूप से बड़ी प्रत्यक्ष सब्सिडियाँ दी जाती हैं। ये खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम हैं। सब्सिडियाँ निर्धनों हेतु संरक्षण उपाय प्रदान करती हैं और हम सब्सिडियाँ देना जारी रखेंगें। तथापि, अब हमें सब्सिडी प्रणाली की पुनर्संरचना के कार्य को सतर्कता से और पूरी चर्चा के बाद ही करना चाहिए।

102. कृषि मंत्रालय का उद्देश्य वर्तमान एमएसपी-आधारित खरीद को क्षति पहुँचाए बिना, विशेषतः गैर-परंपरागत राज्यों में, विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति को और अधिक किफायती बनाना है। उर्वरक विभाग द्वारा गठित एक कार्य दल अब 1 अप्रैल, 2006 से प्रारंभ हो रही उर्वरकों की नई मूल्यनिर्धारण प्रणाली के अगले चरण को कार्यान्वित करने के लिए अनेक विषयों की जांच कर रहा है। उर्वरक सब्सिडी विधेयक में कॉट-छांट की जा सकती है यदि नेप्था और एफओ/एल एस एच एस जो अब फीडस्टॉक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, को प्राकृतिक गैस द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का संबंध है, सरकार को लाहिड़ी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई है, और उचित निर्णय लिए गए है जिनका मैं अपने भाषण के भाग ख में उल्लेख करूंगा।

103. मुझे इस बात का संतोष है कि एनसीएमपी के जनादेश को लागू करने में ईमानदारी से प्रयास करते हुए मैं राजकोषीय समेकन के मार्ग पर भी बना रहा हूँ। 2003-04 के संशोधित अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का क्रमशः 3.6 प्रतिशत तथा 4.8 प्रतिशत था। एफआरबीएम अधिनियम दो अनुपातों में कटौती की अपेक्षा रखता है, जो क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत प्रति वर्ष हैं। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम 2004-05 में इस राजकोषीय सुधार को हासिल करेंगें और वर्ष की समाप्ति पर राजस्व घाटा स.घ.उ. का 2.7 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत होने की आशा है।

XI. 2005-06 के बजट अनुमान

104. अब मैं अगले राजकोषीय वर्ष के बजट अनुमानों पर आता हूँ।

आयोजना व्यय

105. वर्ष 2005-06 के आयोजना व्यय का, समान आधार पर, 172,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। परन्तु, बजट में 143,497 करोड़ रुपए आयोजना व्यय में दिखाए गए हैं और 29,003 करोड़ रुपए की शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सीधे ही ऋणों के रूप में जुटायी जाएगी।

आयोजना-भिन्न व्यय

106. 2005-06 में आयोजना-भिन्न व्यय 370,847 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और इसमें वृद्धि मुख्यतः बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदानों में की गई वृद्धि के कारण है।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा

107. अध्यक्ष महोदय, 2005-06 के लिए बजट अनुमानों में कुल व्यय का अनुमान 514,344 करोड़ रुपए है। मैं केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 351,200 करोड़ रुपए और राजस्व

व्यय 446,512 करोड़ रुपए होने का अनुमान करता हूँ। परिणामतः राजस्व घाटा 95,312 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद. के 2.7 प्रतिशत के बराबर है। राजकोषीय घाटा 151,144 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद. का 4.3 प्रतिशत है।

108. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और अंतरण और निधिपोषण की अत्यधिक बदली हुई पद्धति के परिणामस्वरूप, 2005-06 के बजट को तैयार करने में काफी अधिक परिश्रम करना पड़ा है। मेरे पास एफआरबीएम अधिनियम को देखते हुए "विराम (पॉज)" बटन दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मैं आश्वस्त हूं कि हमें विपरीत दिशा में जाने के लिए बाध्य नहीं किया गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम राजकोषीय विवेक की सीमाओं के बिल्कुल पास हैं और हमारे पास अपने साधनों से अधिक खर्च करने की बिल्कुल गुंजाईश नहीं है। मुझे विश्वास है कि हम 2006-07 से राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और 2008-09 तक एफआरबीएम लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

भाग - ख

XII. कर प्रस्ताव

109. अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

110. मैंने जुलाई 2004 में अपने बजट भाषण में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार के सिद्धान्तों और कराधान के संबंध में हमारे प्रयासों को स्पष्ट किया था अतः इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उन सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, सरकार का इरादा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर सुधार करने, कर-दाता आधार का विस्तार करने, कर अनुपालन बढ़ाने और कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिये महत्वपूर्ण कर सुधार लाने का है।

अप्रत्यक्ष कर

111. मैं अप्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्तावों को शुरू करता हूं। सबसे पहले सीमाशुल्क है।

112. मैं हमारे पूर्व-एशियाई पड़ौसी देशों के अनुरूप सीमाशुल्क संरचना बनाने की सरकार की घोषित नीति को आगे बढ़ाने का इरादा रखता हूं। अतः मैं गैर-कृषि उत्पादों के लिए अधिकतम दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

113. अधिकतम सीमाशुल्क दर के अनुरूप, मैं पूंजीगत माल और कच्ची सामग्रियों पर सीमाशुल्क दरें कम करने और किसी प्रतिलोम शुल्क संरचना के सुधार का प्रस्ताव करता हूं।

114. निवेश को बढ़ावा देने के लिये मैं चुनिंदा पूंजीगत मालों और उनके हिस्सों पर सीमाशुल्क कम करके 15 प्रतिशत से नीचे लाने, कुछ मामलों में 10 प्रतिशत और कुछ अन्य मामलों में 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

115. अधिकांश वस्त्र उद्योग मशीनरी के लिये मैं सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि कोटा-पश्च प्रणाली में वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा का लाभ पाने में मदद मिल सके। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये मैं रेफ्रीजरेटेड वाहनों पर शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

116. चर्म और फुट-वियर उद्योग को बढ़ावा देने के लिये मैं सात विनिर्दिष्ट मशीनरियों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं। इथाइल विनाइल एसीटेट (ई.वी.ए.) पर, जो चर्म उद्योग के लिये एक सामग्री है, शुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

117. फार्मास्यूटिकल्स और जैव-प्रौद्योगिकी तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रक हैं। मैं इन दो क्षेत्रकों में प्रयुक्त नौ विनिर्दिष्ट मशीनरियों पर सीमाशुल्क घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

118. मैं बैटरी चालित सड़क वाहनों और प्रिंटिंग प्रेसों के लिये विनिर्दिष्ट पुर्जों पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखता हूं।

119. प्राथमिक और द्वितीयक धातुओं के लिये मैं सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसी तरह कैटालिस्ट, रिफ्रेक्टरी कच्ची सामग्रियों, प्राथमिक प्लास्टिक सामग्रियों, शीरे और औद्योगिक इथाइल अल्कोहल, जैसी औद्योगिक कच्ची सामग्रियों, जो विनिर्माण की महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं, अब 10 प्रतिशत की घटी हुई सीमाशुल्क दर में आयेंगी। आगे मैं यह शुल्क कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

120. उच्च आश-युक्त कोकिंग कोल पर 15 प्रतिशत का शुल्क है। मैं यह दर घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

121. वस्त्र उद्योग क्षेत्रक को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पोलिएस्टर और नाइलोन चिप्स, वस्त्र रेशों, धागों और मध्यवर्तियों, फैब्रिक्स एवं गारमेंटस पर सीमाशुल्क दरें 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

122. इलैक्ट्रानिक्स और दूर-संचार क्षेत्रकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 217 सूचना प्रौद्योगिकी करार (आई.टी.ए.) बद्ध मदों पर शुल्क शून्य पर लाने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप देशी उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए मैं आई.टी.ए. बद्ध मदों के विनिर्माण के लिये आवश्यक विनिर्दिष्ट मालों और सभी सामग्रियों पर सीमाशुल्क हटाने का प्रस्ताव करता हूं।

123. परन्तु राज्य स्तरीय करों, विशेषकर आगामी राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट) जिसे संबंधित घरेलू मालों पर लगाने का प्रस्ताव है, की प्रतिपूर्ति हेतु मैं सभी आयातों पर 4 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क (सी.वी.डी.) लगाने का विचार रखता हूं। इस समय मैं केवल आई.टी.ए. बद्ध मदों एवं उनकी सामग्रियों, जिन पर कोई शुल्क नहीं है, के आयात पर 4 प्रतिशत सी.वी.डी. लगाने का प्रस्ताव करता हूं। उत्पाद शुल्क के भुगतान पर सी.वी.डी. के लिये ऋण उपलब्ध होगा। परन्तु, क्योंकि इन वेयर्स के लिये हमारा विशेष लगाव है अतः आई.टी. सॉफ्टवेयर को प्रस्तावित सी.वी.डी. से छूट दी जाएगी।

124. कृषि मालों पर लागू सीमा शुल्कों के मामले में, मैं कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं। वास्तव में मैंने कट-फ्लावर्स पर शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। फिर भी, व्यापारी वर्ग के अनुरोध पर और यह देखते हुए कि इसका घरेलू उत्पाद काफी कम है, मैं लौंग पर शुल्क दर घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

125. शुद्ध पेय जल उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी आयात को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं वातावरणिक पेय जल जेनरेटर्स पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

126. उत्पाद शुल्क के बारे में भी मेरे कुछ प्रस्ताव हैं। सरकार का इरादा अधिकाधिक वस्तुओं को 16 प्रतिशत की "सेनवेट" दर पर लाने का है। आज 5 मदों पर 24 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाता है। इन 5 में से मैंने तीन-पालियेस्टर फिलामेंट धागा, टायर्स और एयरकंडीशनर्स को चुना है-और मैं इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क घटा कर 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं। अन्य दो मदों मोटर कारों तथा वातित पेय पदार्थों के निर्माताओं को अभी कुछ और समय तक प्रतीक्षा करनी होगी।

127. पिछले वर्ष, मैंने वस्त्रोद्योग के लिए एक बड़ा कदम उठाया था जिससे वह कोटा-पश्च व्यवस्था की चुनौतियों का सामना कर सके। मैं इस बात की पुनः पुष्टि करता हूं कि प्राकृतिक फाइबर के लिए सेनवेट छूट प्रणाली जारी रहेगी। अब मैं स्वतंत्र कपड़ा निर्माताओं को यह विकल्प देता हूं कि वे इस छूट प्रणाली का उपयोग करें अथवा सेनवेट-क्रेडिट के साथ 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की अदायगी करें।

128. नकली आभूषणों पर इस समय 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है। चूंकि इन उत्पादों का उपयोग अधिकतर कम समृद्ध वर्गों द्वारा किया जाता है, इसलिए मैं उत्पाद शुल्क को घटा कर 8

प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही, महंगे तथा स्तरीय आभूषणों को अब आकर्षक ब्रांडों के नाम के अंतर्गत बनाया और बेचा जाता है। ऐसे ब्रांडेड आभूषणों पर मैं 2 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं स्पष्ट करता हूं कि बिना ब्रांड वाले आभूषणों जिनमें बिना ब्रांड वाले सोने के आभूषण भी शामिल हैं, पर अभी कोई कर नहीं लगता है।

129. तुलनात्मक उत्पादों से संबंधित कर उपायों में कुछ विकृतियों को दूर करने के लिए, मैं मोजेक टाइलों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क तथा 1800 सीसी से अधिक क्षमता के इंजिन वाले सेमी ट्रेलरों हेतु रोड ट्रैक्टरों पर 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कृषि के लिए ट्रैक्टरों को छूट मिलती रहेगी।

130. कुछ ऐसे क्षेत्र, जो आम नागरिकों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, राहत के पात्र हैं। इस समय, चाय पर 1 रुपया प्रति किलो की दर से अधिभार लगता है। मैं इस अधिभार को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके साथ ही, परिष्कृत खाद्य तेलों पर 1 रुपया प्रति किलो तथा वनस्पति पर 1.25 रुपए प्रति किलो की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। मैं इन दोनों लेवियों को समाप्त करके इन दोनों मदों को पूरी तरह से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता हूं।

131. माचिस बनाने वाले हस्त-निर्माण क्षेत्र का संरक्षण करने के साथ-साथ, मशीनी तथा अर्ध-मशीनी क्षेत्रों को भी कुछ राहत देना आवश्यक है। इसलिए, मैं इन दो क्षेत्रों द्वारा निर्मित माचिसों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं। हस्त निर्मित माचिसें पूर्णतया उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं और इसलिए इन्हें समुचित संरक्षण मिलता रहेगा।

132. मैं लघु उद्योगों को कुछ कर रियायतें प्रदान करना चाहता हूं। इसलिए, लघु उद्योगों के लिए मैं लेन-देन पर आधारित छूट सीमा को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ा कर 4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग एककों के लिए अब केवल दो ही विकल्प होंगेः 1 करोड़ रुपए की पहली निकासी पर पूर्ण छूट अथवा सेनवेट क्रेडिट के साथ 1 करोड़ रुपए की पहली निकासी पर सामान्य शुल्क।

133. मैं लोहे तथा इस्पात पर उत्पाद शुल्क को फिर से 16 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखता हूं। इसमें मूल्यों पर मामूली प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अधिकतर उपभोक्ता वस्तुओं का समस्त शुल्क मोडवेट प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता है।

134. मैं शीरे पर विशिष्ट शुल्क को 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव रखता हूं जिसमें शीरे के मूल्यों में भारी वृद्धि को आंशिक रूप से समायोजित किया जा सके। मैं परिवर्जन-रोधी उपाय के रूप में सीमेंट क्लिंकर्स पर भी विशिष्ट शुल्क को 250 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ा कर 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव रखता हूं।

135. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए, मैं पैट्रोल तथा डीजल पर उप कर को 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं। ये अतिरिक्त संसाधन केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ही निर्दिष्ट होंगे तथा केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में उपयुक्त संशोधन संबंधी एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

136. शिक्षा उप-कर की सर्वत्र प्रशंसा की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी ऐसे ही कर-उपाय की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए धन एकत्रित करने हेतु उन वस्तुओं, जो स्वास्थ्य

के लिए हानिकारक हैं, पर कर लगाने से बेहतर उपाय और क्या होगा? इसलिए, मैं कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा इसकी प्राप्तियों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का वित्तपोषण करने का प्रस्ताव रखता हूं। तद्नुसार, मैं सिगरेट पर विशिष्ट दर से लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि करने तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों, जिसमें गुटका, चबाने वाला तम्बाकू, नसवार तथा पान मसाला शामिल हैं, पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्ताव रखता हूं। लेकिन, बीड़ियों पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

137. अंततः पैट्रोलियम उत्पादों पर करों का मुद्दा आता है। लाहिरी समिति की रिपार्ट का अध्ययन करने के पश्चात्, मैं सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क की दरों में बड़े परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखता हूं। कच्चे पैट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

138. घरेलू उपयोग के लिए एल.पी.जी. तथा सब्सिडी युक्त किरोसीन पर सीमाशुल्क शून्य होगा। इन दोनों उत्पादों पर उत्पाद शुल्क भी शून्य होगा।

139. मैं अन्य पैट्रोलियम उत्पादों, जिनमें मोटर स्पिरिट (एम.एस.) तथा डीजल (एच.एस.डी.) शामिल हैं, पर सीमाशुल्क को 20 अथवा 15 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं यथामूल्य और विशिष्ट शुल्कों के समूहन के रूप में पैट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

140. इन प्रस्तावित परिवर्तनों से राजस्व में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए मुझे यह आश्वासन दिया गया है कि शुल्कों की संरचना में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इन उत्पादों के खुदरा मूल्यों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

141. सीमाशुल्कों और उत्पाद शुल्कों में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप निर्यातित वस्तुओं के आयात कर दरों की समीक्षा की जाएगी तथा जहां भी आवश्यक होगा इन संशोधनों को 30 अप्रैल, 2005 तक अधिसूचित कर दिया जाएगा।

142. माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ वस्तुओं पर, उपयुक्त छूट के पश्चात् उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) के संदर्भ में उन पर उत्पाद शुल्क प्रभारित किया जाता है। इस छूट की मात्रा निर्धारण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। छूट की दर की समीक्षा संबंधी प्रणाली भी होनी चाहिए जिसमें परिवर्तित परिस्थितियों का पता चल सके। इसलिए, व्यापार सुविधा उपाय के रूप में, मैं एक सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखता हूं जो उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर दोनों में कमी की सीमा के बारे में सरकार को परामर्श देगी।

143. अन्य प्रत्यक्ष कर सेवा कर है। चूंकि सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 52 प्रतिशत है, इसलिए सेवा कर के विस्तार को व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है।

144. गत जुलाई में, मैंने सेवा कर की दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया था। मैं उस दर को यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव रखता हूं।

145. मैं लघु सेवा प्रदायकों को राहत प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखता हूं। तदनुसार, मैं ऐसे सभी लघु सेवा प्रदायकों को सेवा कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं जिनका सकल कारोबार प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए से अधिक न हो। मेरे आकलन के अनुसार, मौजूदा सेवा कर का भुगतान करने वालों में से 80 प्रतिशत लोग इस छूट का फायदा उठाएंगे।

146. मैं सेवा कर दायरे में कुछ अतिरिक्त सेवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव रखता हूं। जिन नई सेवाओं को सेवा कर के अन्तर्गत लाया जाएगा उनमें उत्पादनाधीन वस्तुओं का परिवहन, स्थल निर्माण, ढहाने की कार्रवाई और सदृश सेवाएं; क्लबों तथा ऐसोसिएशनों का सदस्यता शुल्क; पैकेजिंग तथा विशिष्ट डाक सेवाएं; निर्माण हेतु सर्वेक्षण तथा मानचित्रण सेवाएं; नदियों तथा बन्दरगाहों में तलकर्षण सेवाएं; वाणिज्यिक भवनों तथा इस प्रकार के परिसरों के संबंध में स्वच्छता प्रदायक सेवाएं; बिल्डरों द्वारा विकसित 12 से अधिक आवास इकाइयों के नियोजित आवासीय परिसरों का निर्माण शामिल है।

147. मैं कतिपय सेवाओं के कवरेज को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखता हूं, लेकिन मैं उनका ब्यौरा देकर आपको बोझिल नहीं करूंगा।

प्रत्यक्ष कर

148. मैं अब अपने प्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं।

149. गत जुलाई, अन्तरिम उपाय के बतौर, मैंने एक प्रावधान किया था जिसके अन्तर्गत 100,000 रुपए तक की कर योग्य आय वाले किसी भी व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना होगा, लगभग 1.4 करोड़ कर निर्धारितियों को इससे राहत मिली, मैंने बजट में इस विषय पर पुनः सोचने का आश्वासन दिया था।

150. प्रत्यक्ष करों की समग्र रूप से जांच करने के भाग के रूप में, मैं सांसदों की व्यापक-मांग और मध्यावधि में स्थायित्व प्रदान करने की आवश्यकता पर यथोचित ध्यान देते हुए मैं कर ब्रैकेटों को बदलने का प्रस्ताव रखता हूं।

151. तदनुसार, मैं नए कर ब्रैकेटों तथा नई दरों का इस प्रकार प्रस्ताव रखता हूं :

1 लाख रुपए तक	-	शून्य
1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक	-	10 प्रतिशत
1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक	-	20 प्रतिशत
2.5 लाख रुपए से अधिक	-	30 प्रतिशत

इसके अलावा, जिस स्तर पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगेगा, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर योग्य आय कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य इस बात से प्रसन्न होंगे कि प्रत्येक कर ब्रैकेट में आने वाला करदाता मेरे प्रस्ताव से लाभान्वित होगा।

152. इसके अलावा, मैं महिलाओं के लिए आरंभिक छूट सीमा के स्तर को 1.25 लाख रुपए और वरिष्ठ नागरिकों हेतु 1.5 लाख रुपए पर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखता हूं। ये संशोधित छूट स्तर मौजूदा कर रियायत प्रावधानों के बदले में होंगे।

153. उच्च छूट सीमाओं को देखते हुए तथा कर ब्रैकेटों को बढ़ाने से, अब एक पृथक् निजी भत्ते को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुरूप, मैं इस मानक कटौती को हटाने का प्रस्ताव रखता हूं।

154. अब कई छूटें प्राप्त हैं जिनकी प्रत्यक्ष मंशा बचतों को प्रोत्साहन देने की है। कुछ छूटें कर योग्य आय से कटौती के सिद्धान्त पर आधारित हैं और कुछ छूटें कर रियायत के सिद्धांत पर आधारित हैं। मुझे विश्वास है कि अब इन छूटों को समाप्त करने का उचित समय है। इसके साथ ही, यह आवश्यक है कि बचतों को प्रोत्साहन दिया जाए और कर राहत लोगों में बचत की भावना

को प्रेरणा देने का माध्यम बने। इसके अलावा, मेरा यह विचार है कि सरकार को बचत के एक स्वरूप और दूसरे स्वरूप के बीच तटस्थ रहना चाहिए तथा कर दाताओं को बचतों/निवेश निर्णयों के संबंध में अपेक्षाकृत लचीलेपन की अनुमति दी जानी चाहिए।

155. इन सभी कारणों से, मूल छूट सीमाओं के अतिरिक्त, मैं प्रत्येक कर दाता को बचतों के संबंध में 1 लाख रुपए की समेकित सीमा की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं जिसकी कर के आकलन से पहले आय से कटौती की जाएगी। सभी मौजूदा क्षेत्रीय सीमाओं को हटाया जाएगा। नयी प्रणाली को प्रतिबिम्बित करने के लिए धारा 88 के अंतर्गत छूट को समाप्त किया जा रहा है और धारा 80ठ को हटाया जा रहा है।

156. 1 लाख रुपए की राशि के अलावा, निम्न छह कटौतियों पर पहले की तरह मौजूदा कर प्रणाली लागू रहेगी :

(i) स्वयं रह रहे आवास संपत्ति हेतु आवासीय ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज;

(ii) चिकित्सा बीमा प्रीमियम;

(iii) विकलांग आश्रित पर विनिर्दिष्ट व्यय;

(iv) हिन्दु अविभक्त परिवार के स्वयं अथवा आश्रित अथवा सदस्य की चिकित्सा पर होने वाला व्यय;

(v) उच्च अध्ययन हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज के संबंध में कटौती; और

(vi) विकलांग व्यक्ति के संबंध में कटौती।

157. बचत का कर व्यवहार एक पेचीदा मामला है लेकिन हम इस संबंध में उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। हमने पहले ही परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में ईईटी-आधारित कराधान प्रणाली को आरंभ कर दिया है जो नए भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। इससे पहले कि सभी बचतों के संबंध में हम ईईटी प्रणाली को पूर्णतया अपनाएं, कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दों को हल करना जरूरी है। इसलिए, इस समय कोई परिवर्तन किए बिना, मैं एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखता हूं जो ईईटी प्रणाली को अपनाने की दिशा में एक रूपरेखा तैयार करेगी।

158. लोकप्रिय मांग को मानते हुए, मैं अनिवासी भारतीयों द्वारा रखे गए खातों पर अर्जित ब्याज पर कर से छूट को जारी रखने का प्रस्ताव रखता हूं।

159. आज जो कर राहत मैंने प्रदान की हैं, उससे जहां करदाताओं को बहुत सुकून मिलेगा, वहीं मेरी, विशेषकर राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अधिदेशित कार्यक्रमों की विशाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी है।

160. मैंने अतिरिक्त सुविधाओं (परक्विजिट्स) पर कर लगाने की वर्तमान व्यवस्था की जांच की है और मैंने पाया है कि बहुत सी सुविधाओं को सीमान्त लाभों का छद्म नाम दिया जाता है और कर देने से बचा जाता है। इन सुविधाओं, जो निश्चित रूप से बहुत अधिक आर्थिक मूल्य के हैं, पर न तो नियोजक और न ही कर्मचारी कोई कर चुकाता है। वर्तमान में जहां लाभ पूरी तरह कर्मचारी को दिये जाते हैं, उन के लिए कर्मचारी पर कर लगाया जाता है; वह स्थिति जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त, मैं अब यह प्रस्ताव रखता हूं कि जहां लाभों को सामान्यतया कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त किया जाता है और कर्मचारियों पर अलग-अलग अधिरोपित नहीं किया जा सकता है, उन के संबंध में नियोजक पर कर लगाया जाएगा। तथापि, कर्मचारियों के लिए परिवहन और कार्यालय अथवा फैक्टरी में कैंटीन सेवाएं कर दायरे से बाहर होंगी। यह कर एक

नया कर नहीं है, यद्यपि मैं इसे एक नया नाम अर्थात् सीमान्त लाभ कर देने के लिए बाध्य हूं। इसकी दर एक उपयुक्त रूप से परिभाषित आधार पर 30 प्रतिशत होगी।

161. मेरा विश्वास है कि मैंने व्यक्तिगत कर दाताओं को बड़ी संख्या में राहतें प्रदान की हैं, और मुझे आशा है कि सभी तबके के लोग और सदन के सभी सदस्य प्रसन्न हैं। अब मैं कंपनी आय कर की ओर अग्रसर होता हूं।

162. कंपनी आय कर दर, उस पर प्रभार और मूल्य ह्रास की दरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी भी सुधार में सभी तीन तत्वों पर ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सर्वोत्तम पद्धति उन दरों पर मूल्य ह्रास की व्यवस्था करने की है जो निवेशक को इसकी आर्थिक मियाद समाप्त होने से पूर्व परिसंपत्ति को प्रतिस्थापित करने में सक्षम बनाए। भारत में, नए निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने मूल्यह्रास दर के अतिरिक्त एक आरंभिक मूल्यह्रास की अनुमति दी है। माननीय सदस्य स्मरण करेंगे कि गत जुलाई में मैंने संस्थापित क्षमता में वृद्धि से संबंधित शर्त को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया था।

163. मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हूं कि अनेक लाभ कमाने वाली कंपनियां निरंतर कम कर अदा करती रही हैं, भले ही यह उदार मूल्यह्रास दरों और छूटों तथा प्रोत्साहनों का लाभ उठा कर कानून के भीतर ही हो। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मूल्यह्रास दरें श्रम की अपेक्षा पूंजी को नियोजित करने के पक्ष में झुकी हैं।

164. यह भी मांग की गई है कि कंपनी कर दरें उच्चतम सीमान्त व्यक्तिगत आय कर दर से सम्बद्ध की जानी चाहिएं।

165. पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं, राजस्व के हित और निगमित क्षेत्रक को राहत देने की आवश्यकता पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मैं निम्नलिखित कर ढांचे का प्रस्ताव रखता हूं।

166. स्वदेशी कंपनियों के लिए कंपनी आय कर दर 30 प्रतिशत होगी। 10 प्रतिशत का अधिभार भी होगा। सामान्य मशीनरी और संयंत्र के लिये मूल्यह्रास की दर 15 प्रतिशत होगी परन्तु आरंभिक मूल्यह्रास दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा।

167. कंपनी जगत यह पाएगा कि प्रस्तावित कर ढांचा न्याय संगत है, उन्हें कर दर में लगभग 3 प्रतिशत की राहत प्रदान करता है, नए निवेश को प्रोत्साहित करता है और कंपनी कर दाताओं के सभी वर्गों के बीच समानता सुनिश्चित करता है।

168. राहत के एक अन्य उपाय के रूप में, मैं आरंभिक मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त करने के लिए संस्थापित क्षमता में 10 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता को हटाने का प्रस्ताव करता हूं।

169. प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए, मैं तकनीकी सेवाओं पर रोक (विदहोल्डिंग) कर को 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

170. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम की धारा 115जखके अन्तर्गत किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के भुगतान के लिए क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।

171. विदेशी कंपनियों पर लागू कर प्रणाली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का मेरा प्रस्ताव नहीं है।

172. गत जुलाई में मैंने संकेत दिया था कि मैं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदान की जा रही छूटों के संबंध में अन्तिम तिथियों की समीक्षा करूंगा। तद्नुसार, मैं निम्नलिखित तीन मामलों में अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2007 करने का प्रस्ताव करता हूं :

- जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज, इलैक्ट्रानिक्स, दूर संचार, रसायन अथवा अन्य अधिसूचित उत्पाद के कारोबार में लगी कंपनियों के अपने आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास पर होने वाले व्यय के 150 प्रतिशत की भारित कटौती
- जम्मू तथा कश्मीर में नए औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती
- वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास के कार्यों में लगी और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अनुमोदित कंपनियों के लाभों की 100 प्रतिशत कटौती।

173. एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मेरा प्रस्ताव एयर क्राफ्ट अथवा एयर क्राफ्ट इंजिन को पट्टे पर लेने के करारों पर कर छूट की अवधि को 30 सितंबर, 2005 तक बढ़ाने का है।

174. प्रतिभूति सौदा कर (एसटीटी) स्थिर हो गया है, लेकिन दरों के बहुत ही कम होने के बारे में व्यापक रूप से महसूस किया गया है। अतः, मैं इन सभी प्रकार के सौदों पर मामूली सी वृद्धि का प्रस्ताव रखता हूं। इस प्रकार, एक दैनिक व्यापारी जो 0.015 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति सौदा कर भुगतान के उत्तरदायी है, अब से आगे वह 0.02 प्रतिशत की दर से भुगतान करेगा। इस छोटी सी वृद्धि से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दर में यह मामूली वृद्धि सभी श्रेणियों पर लागू होगी।

175. जैसा कि माननीय सदस्यगणों को ज्ञात है, वित्तीय व्युत्पादों में व्यापार के शुरू होने सहित पिछले दशक में पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हमने लेखा परीक्षा हेतु पर्याप्त रक्षोपायों के साथ व्यापार की एक पारदर्शी प्रणाली भी स्थापित की है। अतः मैं यह व्यवस्था करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय स्टाक एक्सचेंजों में व्युत्पादों में व्यापार आयकर अधिनियम की धारा के प्रयोजनार्थ "सट्टाकारी लेनदेनों" के रूप में नहीं माना जाएगा।

176. मैं आयकर विवरणियां दायर करने हेतु छः-में-एक मानदंड के संशोधन का प्रस्ताव करता हूं। मोबाइल फोन को इनमें से हटाया जाएगा। इसके बजाय 50,000 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक के बिजली भुगतान को आय की विवरणी दायर करने हेतु मानदंड के रूप में शामिल किया जाएगा।

177. एन.सी.एम.पी. सरकार से काले धन और परिसंपत्तियों को बाहर निकालने के लिए विशेष योजनाएं प्रारंभ करने की अपेक्षा रखता है। मैं जनादेश को पूरा करने के लिए बाध्य हूं लेकिन बिना अनुचित राहत और माफी को प्रदान करके। मैं बड़े नकदी संव्यवहारों विशेषतः नकदी आहरणों जबकि नकदी की ऐसी बड़ी राशियों को आहरित करने का कोई प्रत्यक्ष प्रयोजन न हो, के बारे में चिंतित हूं। ये नकदी आहरण कोई राह नहीं दिखाते और इनके दुरुपयोग अनधिकृत अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। अतः, मैं दो कर-अपवंचन उपायों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं, प्रथमतः बैंकों से किसी एकल दिवस में 10,000 रुपये या उससे अधिक की नकदी राशि के आहरण पर 0.1 प्रतिशत की दर से एक कर लगाने का प्रस्ताव रखता हूं। अतः, 10,000 रुपये नकद आहरित करने वाले किसी व्यक्ति को अब 10 रुपए की एक लघु राशि का भुगतान करना होगा। द्वितीयतः, मैं सभी बैंकों को उन सभी जमाराशियों की रिपोर्ट सरकार से करना

अपेक्षित करने का प्रस्ताव रखता हूं जो ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से मुक्त हैं। मेरा इरादा, किसी अन्य उपाय का प्रस्ताव करने से पूर्व, इन उपायों के परिणामों का अवलोकन करना है।

178. राजस्व विभाग में कई प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं। इनमें कर सूचना तंत्र (टिन) और ऑन-लाइन कर लेखाकरण प्रणाली (ओल्टस) शामिल हैं।

179. सुविधाजनक बनाने के उपाय के रूप में, मैं अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अनुपालन और बड़ी करदाता इकाईयों (एलटीयू) की स्थापना का प्रस्ताव रखता हूं। शुरूआत में, ये इकाईयां बड़े नगरों में स्थापित की जाएंगी। मैं बड़े करदाताओं, शुल्क कार्पोरेट कर या आय कर या उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क, कोई भी कर देने वाले, को कार्यक्रम में भाग लेने और एकल विंडो सेवा का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं छोटे करदाताओं के लिए, औद्योगिक संघों, व्यावसायिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से सहायता या सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखता हूं।

180. मुझे प्रत्यक्ष कर कानूनों तथा अप्रत्यक्ष कर कानूनों में संशोधन पर कई सुझाव मिले हैं। मैंने कुछ सुझावों जिन पर तुरंत अमल किए जाने की जरूरत है, को स्वीकार करने का निर्णय किया है, लेकिन मैं इन परिवर्तनों से वित्त विधेयक पर बोझ डालने का प्रस्ताव नहीं रखता हूं। इसके बजाय, मेरा इरादा इस सत्र के दौरान उस प्रयोजनार्थ एक पृथक विधेयक पेश करने का है। उचित समयावधि में, मेरा इरादा संसद के समक्ष एक संशोधित तथा सरलीकृत आय कर विधेयक रखने का है।

181. प्रत्यक्ष करों पर मेरे कर प्रस्तावों से 6000 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है इनसे मोटे तौर पर राजस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

XIII. निष्कर्ष

अध्यक्ष महोदय,

182. भारत के एक सबसे गौरवशाली पुत्र डा. अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक "डेवलपमेंट एज फ्रीडम" में यह तर्क दिया है कि विकास वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार की एक प्रक्रिया है जिसका लोग आनंद लेते हैं। उनका कहना है "जी.एन.पी. (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) अथवा व्यक्तिगत आयों की वृद्धि, वास्तव में, समाज के सदस्यों द्वारा उपभोग की गई स्वतंत्रताओं के विस्तार के माध्यम के रूप में काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। परंतु स्वतंत्रताएं अन्य निर्धारक बातों पर भी निर्भर करती हैं जैसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं (उदाहरण के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल हेतु सुविधायें) तथा राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार।" यू.पी.ए. सरकार आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिये इस नैतिक सिद्धांत को स्वीकार करती है और इस बजट में, मैंने इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। कमोबेश यही विचार संत तिरुवल्लुवर द्वारा दो हजार वर्ष पहले व्यक्त किया गया था जब उन्होंने कहा थाः-

पिनी इनमई सेलवम विलइवु इनबम इमम
अन्नी एन्ब नाटिरक्कू इब आइन्धु।

(स्वास्थ्य, सम्पत्ति और उत्पादन का परिणाम है प्रसन्नता तथा सुरक्षा,
विद्वान कहते हैं कि ये पांचों राज्यतंत्र के आभूषण हैं।)

183. अध्यक्ष महोदय, यह बजट एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है जिसमें वृद्धि और समानता एक दूसरे को मजबूत करेंगी और एक नये भारत का निर्माण करेंगी।

184. महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सदन को यह बजट सौंपता हूं।